बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषयः— राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन/भत्तें एवं सेवा शर्त्तें आदि का निर्धारण।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं0—2950 दिनांक 30.08.2007 द्वारा राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना का गठन किया गया है । इस क्रम में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्त्तों का निर्धारण विचाराधीन था ।

2. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन/भत्ते , सेवाशर्त्तों आदि का निर्धारण निम्नानुसार करने का निर्णय लिया गया है :—

(1) वेतन एवं भत्तेः— (i) अध्यक्ष ऐसे वेतन एवं भत्ते का हकदार होगा जो वेतन एवं भत्ता अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग को अनुमान्य होगा ।

(ii) अध्यक्ष से भिन्न प्रत्येक सदस्य ऐसे वेतन का हकदार होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अनुमान्य होगा ।

(2) श्रेणी एवं प्रतिष्ठाः—अध्यक्ष एवं सदस्यों की श्रेणी पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार ,पटना के अध्यक्ष एवं सदस्य के अनुरूप अनुमान्य होगी ।

(3) सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर मूल सेवा से निवृत्तिः—वैसे सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार को सेवा में थे, उन्हें आयोग के सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख के प्रभाव से ऐसी सेवा से निवृत्त माना जाएगा ।

(4) छुट्टीः—अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित रूप से छुट्टी का हकदार होगा :—

(क) समय—समय पर यथा संशोधित बिहार सेवा संहित के अनुसार उपार्जित छुट्टी, अर्द्धवेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी ।

(ख) समय—समय पर यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों को यथा अनुमान्य असाधारण छुट्टी ।

(5) पेंशनः— (1) ऐसा अध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, अपनी नियुक्ति की तारीख से छः माह के भीतर

या अधिवर्षिता की आयु होने तक, जो भी पहले हो, अपने विकल्प का प्रयोग कर जिस सेवा में वह था, उस सेवा पर लागू नियमों के अनुसार अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ प्राप्त करने का हकदार होगा, जो यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगी, परन्तु ऐसी दशा में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके वेतन में से सकल पेंशन की समतुल्य राशि को, जिसमें पेंशन का कोई भाग जो रूपांतरित हुआ हो और अन्य सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं की समतुल्य पेंशन भी शामिल है, घटा दिया जाएगा तथा वह अपनी पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं पृथकतः करने का हकदार होगा ।

(2) अध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, यदि वह उपर्युक्त उप कंडिका में विनिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं करता हो, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी सेवा की गणना ऐसी नियुक्ति के तुरन्त पहले या जिस सेवा में रहा हो उस सेवा पर लागू नियमों के अधीन पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ के लिए की जाएगी ।

(3) ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को कोई पेंशन देय नहीं होगी, जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदग्रहण करने के तुरंत पहले केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी सेवा में नहीं रहा हो ।

(6). <u>भविष्य निधि</u> :—(1) ऐसा अध्यक्ष या सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्दीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, और जिसे सामान्य भविष्य निधि या अंशदायी भविष्य निधि की प्रसुविधाएँ मिली हुई थी, वह उस निधि में उस तारीख तक अंशदान जारी रख सकेगा, जिस तारीख को वह अपनी मूल सेवा में लागू नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त नहीं हो जाता । अंशदायी भविष्य निधि को दशा में, उस निधि में देय नियोजक का अंशदान आयोग में अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति की तारीख से, उन परिलब्धियों के आधार पर आयोग द्वारा देय होगा, जो वह नियुक्ति के तुरंत पहले धारित पद पर प्राप्त कर सकता ।

इस के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करने वाला सदस्य अपनी नियुक्ति के छः माह के भीतर राज्य सरकार को लिखित रूप में अपना विकल्प संसूचित करेगा और इस प्रकार प्रयुक्त विकल्प अंतिम होगा ।

(2) ऐसा अध्यक्ष या कोई सदस्य जो अपनी नियुक्ति के समय —

(i) केन्दीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, और जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व जिस सेवा में वह था, उस पर लागू नियमों के अधीन अपनी पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया हो, अथवा;

(ii) केन्दीय या राज्य सरकार का किसी स्थानीय निकाय अथवा सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः स्वामित्व वाले नियंत्रित अन्य प्राधिकार को अधीनस्थ सेवा से निवृत्त हो चुका हो, अथवा ;

(iii) केन्दीय या राज्य सरकार या किसी निकाय अथवा सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः स्वामित्व वाले किसी अन्य प्राधिकार की सेवा में नहीं रहा हों,

वह अंशदायी भविष्य निधि योजना की प्रसुविधा में सम्मिलित किये जाने का हकदार होगा और इस प्रयोजनार्थ समय–समय पर यथा संशोधित अंशदायी भविष्य निधि(भारत) नियमावली, 1962 द्वारा शासित होगा ।

(7) (I) (क) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने की दशा में सेवा–शर्त्ते वही होंगी, जो यथास्थिति उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को अनुमान्य है, और

(ख) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने की दशा में सेवा शर्त्ते वही होंगी, जो समय–समय पर यथासंशोधित जॉच आयोग/समिति में नियुक्त होने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन– निर्धारण एवं अन्य शर्त्तो से संबंधित सरकारी अनुदेशों के अधीन अनुमान्य है । अध्यक्ष होने पर समय–समय पर यथा पुनरीक्षित उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की हकदारी के अनुसार सत्कार भत्ता का हकदार होगा ।

(ग) सत्कार भत्ताः–आसीन/सेवा निवृत्त अध्यक्ष होने पर समय समय पर यथा पुनरीक्षित उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की हकदारी के अनुसार सत्कार भत्ता का हकदार होगा ।

(II) सदस्यों की जिन सेवा–शर्त्तो के अलग स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वे वही होगीं जो समय–समय पर बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निमित्त लागू होगी ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राष्ट्रीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद/बिहार लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग/अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग/राज्य महादलित आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

31/12/08

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–11/वि.1–विविध–25/07का0 4753 /पटना–15,दिनांक 31.12.2007

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/महालेखाकार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना/अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपकमों/पर्षद को अविलंब सूचित करा दें।

31/12/07

सरकार के उप सचिव।